न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–79/2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम रामा शंकर कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
14/8/2020 28/8/20	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–451/म0नि0को0 दिनांक–13.03.2020 से प्राप्त बहादुरपुर थाना कांड सं0–98/20 दिनांक 22.02.2020 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कॉर्पियो रजि0 नं0–BR07PA-6321 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी रामा शंकर कुमार की ओर से, माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 7076/2020 रामा शंकर कुमार बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.07.2020 को पारित आदेश के साथ कारण पृच्छा दाखिल किया गया, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल द्वारा रात्रि गश्ती के क्रम में वाहन चेकिंग के दौरान उक्त स्कॉर्पियो रजि0 नं0–BR07PA-6321 को रोकने का इशारा किया गया, परन्तु वाहन चालक द्वारा तेजी से वाहन को भगाने लगा जिसे पुलिस बल के सहयोग से रोका गया। तत्पश्चात उक्त वाहन को विधिवत दो स्वतंत्र साक्षी के समक्ष तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में उक्त वाहन के चालक के सीट के बगल में बॉये तरफ की सीट के आगे बिछा मैट के नीचे छुपा कर रखे इम्पेरियल ब्लू 180 एम0एल0 का 07 बोतल कुल 01.260 लीटर शराब बरामद हुआ जिसे विधिवत जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिए। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त जब्त वाहन के विमुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 7076/2020 में दिनांक 10.07.2020 को पारित आदेश के आलोक में कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। उनका कथन है कि घटना के दिन उक्त वाहन शादी में ले जाने हेतु ड्राईवर को दिया था जिसमें चार व्यक्ति बाराती के रूप में जा रहे थे। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01.260 लीटर बरामद किया गया जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं माना जा सकता है। उक्त बरामद शराब से उनका कोई सरोकार नहीं है। वाहन विमुक्ति हेतु वे प्रतिभूति आदि देने को तैयार है। अतः अनुरोध है कि जब्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन स्कॉर्पियो रजि0 नं0– BR07PA-6321 से 01.260 लीटर शराब बरामद हुआ है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि	

बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन कि शादी में जाने के लिए उक्त वाहन दिया गया था जिसमें बाराती जा रहे थे। उक्त जब्त शराब से कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध में यदि विपक्षी के वाहन का दुरूपयोग चालक अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है तो वे उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में बहादुरपुर थाना कांड सं0–98/20 दिनांक 22.02.2020 में जब्त वाहन स्कॉर्पियो रजि0 नं0–BR07PA-6321 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 7076/2020 में दिनांक 10.07.2020 को पारित आदेश के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा